कार्यालय मुख्य कारख़ाना प्रबंधक,
उत्तर रेलवे, जगाधरी वर्कशॉप । 181

संख्या :974- ई /हित/ कोविड-19/ज.व.  दिनांक: 01.06.2020

सभी अधिकारीगण,
सभी वरिष्ठ खंड अभियंता,
जगाधरी वर्कशॉप ।

**विषय: जगाधरी वर्कशॉप में कर्मचारियों की ड्यूटी के सम्बंध में।**

**संदर्भ: इस कार्यालय के पत्र संख्या**

**(i) 974- ई /हित/ कोविड-19/ज.व. दिनांक: 18.05.2020, 23.05.2020**

**(ii) 433-ई/O/ ई -5(नीति) दिनांक 20.05.2020 ।**

***

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 18.05.2020 के अनुसार जगाधरी वर्कशाप में इंडस्ट्रियल गतिविधियों को सुचारु रूप से दिनांक 19.05.2020 से पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है।

i) दिनांक 19.05.2020 के पश्चात कर्मचारी समय समय पर ड्यूटी join करने हेतु वर्कशॉप में रिपोर्ट कर रहे हैं, चिकित्सा जाँच के उपरांत कुछ कर्मचारियों को ड्यूटी प्रदान कर दी गई है तथा जिन कर्मचारियों की Travel History पाई गई है उन कर्मचारियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन /सिविल अस्पताल में refer किया गया है।

ii) इस कार्यालय के संदर्भित पत्र संख्या (ii) दिनांक 20.05.2020 के अनुसार जो कर्मचारी Beyond of Controlled reason के कारण ड्यूटी पर नहीं आ पा रहे, उन कर्मचारियों की अनुपस्थिति अवधि का केस टू केस बेस पर निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जाएगा । इसके अतिरिक्त यदि किसी कर्मचारी का मूल निवास स्थान Containment zone में आता है और उस कारण वश वह ड्यूटी पर नहीं आ सकते या आ पा रहें, उन कर्मचारियों द्वारा प्रार्थना पत्र एवं ज़रूरी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा केस टू केस पर निर्णय लिया जाएगा।

iii) इस कार्यालय के संदर्भित पत्र संख्या (i) दिनांक: 23.05.2020 मद संख्या 1 के निर्देशानुसार जो कर्मचारी 19.05.2020 से जगाधरी वर्कशाप में कार्य हेतु उपस्थित नहीं हुए उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा तथा संदर्भित पत्र संख्या (i) दिनांक: 23.05.2020 मद संख्या 2 के माध्यम से क्वारंटाइन कर्मचारियों के अवधि निर्धारण के विषय में निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

iv) यह संज्ञान में आया है कि कुछ कर्मचारियों ने किसी कारणवश कार्य हेतु रिपोर्ट नहीं किया है, उन कर्मचारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वह कर्मचारी तुरंत प्रभाव से कार्य हेतु रिपोर्ट करें अन्यथा उन्हें unauthorised absent मान कर उनके विरुद्ध D&AR कार्यवाही की जाएगी तथा अनुपस्थिति Period को Unauthorised Absent माना जाएगा।

**इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।**

01/6/2020

कृते मुख्य कारख़ाना प्रबंधक,
उत्तर रेलवे, जगाधरी वर्कशाप।

प्रतिलिपि - सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1) सचिव NRMU (यांत्रिक एवं विद्युत)- जगाधरी एवं कालका वर्कशॉप ।
2) सचिव URMU (यांत्रिक एवं सामान्य)- जगाधरी एवं कालका वर्कशॉप ।
3) सचिव SC/ST एवं OBC Association ।
4) सभी मुख्य कार्यालय अधीक्षक/इन्चार्ज-जगाधरी एवं कालका वर्कशॉप ।

Scanned with CamScanner